

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 3846

में

2021 का लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 685

1. अरुण कुमार पिता-गणपति मलिक निवासी ग्राम-मिठियाडीह, महावीर नगर, थाना -मोतिहारी, जिला-पूर्वी चंपारण।
2. राकेश कुमार पिता-कौशल किशोर प्रसाद बाजितपुर किलाघाट, डाकघर-शुभंकरपुर, थाना-लहरियासराई, जिला-दरभंगा।
3. रंजीत कुमार पिता-ब्रज नंदन पटेल ग्राम-बसौली, डाकघर-बिशुनपुर टिटिधा, थाना-राजापाकर, जिला-वैशाली।
4. अमरेंद्र कुमार कर्ण पिता-श्री बलदेव लाल निवासी ग्राम-रुस्तानपुर, डाकघर-हयघाट, थाना-हयघाट, जिला-दरभंगा।
5. अजय कुमार प्रभात पिता-स्वर्गीय सिद्धेश्वर अनाज निवासी गांव-शिवनगर, डाकघर-हबीबपुर, थाना-परवालपुर, जिला-नालंदा।
6. गुलाबचंद पिता-श्री मुद्रिका प्रसाद निवासी ग्राम-शाहपुर, डाकघर-बहुआरा, थाना-दावा, जिला-रोहतास।
7. राजेश कुमार सिंह पिता-श्यामदेव सिंह ग्राम डाकघर- थाना-दारीहाट, जिला-रोहतास।
8. डॉ. प्रभा कुमारी पिता-श्री जितेंद्र कुमार सिंह निवासी ग्राम डाकघर-खजुरी, थाना-नौबतपुर, जिला-पटना।
9. श्रीकांत प्रसाद पिता-कपिलदेव प्रसाद ग्राम डाकघर-बरदीह, थाना-इस्लामपुर, जिला-नालंदा।
10. उमेश महतो पिता-रामदेव महतो निवासी ग्राम-बिस्ता, डाकघर-मुशाहमिया, थाना-सोनबरसा, जिला-सीतामढ़ी।
11. मो. जमील अख्तर पिता- मोहम्मद निजामुद्दीन निवासी ग्राम-गंगापुर, थाना - कुर्था, जिला-अरवल।
12. सुरेश शर्मा पिता-स्वर्गीय गनौरी शर्मा ग्राम डाकघर- नोवान, थाना-शकुराबाद, जिला-जहानाबाद।
13. डॉ. मनोज कुमार विद्यार्थी पिता-श्री अखिलेश्वर शर्मा ग्राम डाकघर-नोवान, थाना-सकुराबाद, जिला-जहानाबाद।

14. मो. नजीर हयात पिता- मोहम्मद जुबैर आलम निवासी निवासी ग्राम-मैनपुर, डाकघर-कुजरी, थाना-पलासी, जिला-अरारिया।
15. अखिलेश कुमार पिता-श्री बाबू नंद सिन्हा निवासी ग्राम-निरजा नगर रतनपुर, डाकघर- और थाना जिला-बेगुसराय।

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार सरकार के मुख्य सचिव के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग (शिक्षा विभाग नया सचिवालय), बिहार सरकार, पटना।
4. निदेशक, अनुसंधान और प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग, नया सचिवालय, बिहार सरकार, पटना।
5. निदेशक, (प्रशासन) सह-विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, नया सचिवालय, बिहार सरकार, पटना।
6. क्षेत्रीय निदेशक, पूर्वी क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, 15 नीलकांत नगर, नयापट्टी, भुवनेश्वर (ओडिशा)।
7. उप निदेशक, सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, प्लॉट संख्या 15 ए, सेक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली।
8. अध्यक्ष के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग, 15 जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना।
9. संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक, बिहार प्रकाशन सेवा आयोग, 15 जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना।
10. श्यामानंद आजाद पिता-स्वर्गीय हरि नंदन सिन्हा ग्राम थाना-सकतपुर, डाकघर-पोखरबिंदा, जिला-दरभंगा, प्रेसीडेंट पोस्ट शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, समस्तीपुर।
11. बीरेंद्र कुमार मिश्रा पिता-राघव सरन मिश्रा निवासी ग्राम-पजौधा, थाना-दरोंदा, जिला-सिवान।
12. जानकी रमन पिता-श्री सिद्धेश्वर साह निवासी गोरीगामा, डाकघर-मन्नानपुर मोरसंद, थाना रुन्नीसैदपुर, जिला-सीतामढ़ी।
13. बिनोद कुमार गुप्ता पिता-रामेश्वर पी. डी. गुप्ता निवासी सतघरा राजनगर, गांधी चौक, थाना-राजनगर, जिला-मधुबनी।
14. ब्रह्मचारी अजय कुमार श्री रामेश्वर सिंह पिता-सतघरा राजनगर, गांधी चौक, डाकघर- थाना-राजनगर, जिला-मधुबनी।

15. श्याम किशोर पोद्वार पिता-स्वर्गीय अयोध्या पोद्वार ग्राम नवरतन हाटा, पुमिया, डाकघर-पूर्णिया, थाना-शाजांचीहाट, जिला-पूर्णिया।
16. अमरेश कुमार पिता-स्वर्गीय मुरलीधर ठाकुर निवासी ग्राम-पूर्वी तोला बनगांव, डाकघर- थाना-बनगांव, जिला-सहरसा।
17. मो. बशीर हसन मंजेर पिता- मोहम्मद शब्बीर हसन मंजेर बेंटा, डाकघर-डी. एम. सी. कैम्पस, थाना-लहरियासराई, जिला-दरभंगा।
18. बसंत कुमार चौधरी पिता-स्वर्गीय बालमुकुंद चौधरी निवासी ग्राम खेराजपुर पूर्व, डाकघर-खेराजपुर, थाना-बहादुरपुर, जिला-दरभंगा
19. संजय कुमार पिता-गंगापति मलिक निवासी ग्राम-मिठियाडीह, महावीर नगर, डाकघर-मोतिहारी, थाना चटौनी, जिला-पूर्वी चंपारण।
20. मो. शब्बीर हुसैन पिता-स्वर्गीय मो. मुसलेहुद्दुन निवासी ग्राम डाकघर-परसौनी, थाना-बिस्फी, जिला-मधुबनी।
21. दिनबंधु पिता-सूर्यदेव साह निवासी ग्राम डाकघर-जोगवाना बाजार, थाना-बाथनाहा, जिला-समस्तीपुर।
22. दया राम यादव पिता-स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद यादव ग्राम डाकघर-कोयलस्थान, थाना-केओटी, जिला-दरभंगा।
23. अर्जुम वसीस पिता- मोहम्मद नजीम निवासी निवासी ग्राम-मणियारपुर, थाना -वारिसनगर, जिला-समस्तीपुर।
24. गंगेश कुमार झा पिता-श्री रमाकांत झा निवासी ग्राम-ततुआर पूर्वी टोला, थाना-मणिगाढ़ी, जिला-दरभंगा।
25. शत्रुघ्न मेहता पिता-स्वर्गीय रामलखन मेहता निवासी ग्राम-हरिसनसारी, थाना - शालखुआ, जिला-सहरसा।
26. यमुना प्रसाद पिता-मुरली प्रसाद ग्राम डाकघर-टीलाऊ, जिला रोहतास।
27. मो. शाहनवाज रिजवी मो. अज़्जीज़ुल हकीम निवासी आसनदपुर, डाकघर-भागलपुर शहर, थाना-भागलपुर विश्विद्यालय, जिला-भागलपुर।
28. अरुण कुमार उपाध्याय पिता-स्वर्गीय राम प्रवेश उपाध्याय ग्राम-मौथिहान, डाकघर-बरावन कला, थाना-दारीहाट, जिला-रोहतास।
29. डॉ. इसाम लाल करहरिया, पिता-उपेंद्र प्रसाद सिंह निवासी उपनू विला, सितला स्थान रोड, डाकघर- थाना-इसाक चक गुमती नं. 12, जिला-भागलपुर।
30. डॉ. राकेश कुमार परिमल पिता-स्वर्गीय किशन प्रसाद सिंह ग्राम डाकघर-परारिया, थाना-शंभूगंज, जिला-बांका।
31. विनोद कुमार पिता-श्री आनंदी सिन्हा निवासी ग्राम-डाकघर-परारिया, थाना-शंभूगंज, जिला-बांका।

32. राजदेव कुमार पिता-केशव कुमार सिंह ग्राम डाकघर-करहरिया, थाना-बरह, जिला-भागलपुर।
33. चंद्र शेखर कुमार पिता-श्री राम प्रवेश प्रसाद निवासी ग्राम मोगलकुआं, डाकघर-थाना-सहसराय, जिला-नालंदा।
34. प्रसून कुमार पिता-स्वर्गीय अनिरुद्ध प्रसाद कथल तोला, शिव मंदिर के पास, डाकघर-थाना-सोहसराय, जिला-नालंदा।
35. संजीव कुमार पिता-स्वर्गीय मदन मोहन लाल ग्राम डाकघर-दुर्गापुर, थाना-गिरियाक, जिला-नालंदा।
36. कृष्ण कुमार पिता-श्री योगेंद्र प्रसाद निवासी ग्राम-बारी पहाड़ी, भारतीय स्टेट बैंक के पास, डाकघर- सोहसराय, थाना-लाहेरी, जिला-नवादा।
37. राजेश कुमार पिता-योगेंद्र कुमार जानकी भवन, टीचर कॉलोनी, बस स्टैंड, राजगीर, जिला-नालंदा।
38. उपेंद्र बैठा पिता-श्री दशरथ बैठा ग्राम डाकघर-गरीबा, थाना-कल्याणपुर, जिला-पूर्वी चंपारण।
39. संजय कुमार पिता-हरीश चंद्र ठाकुर ग्राम-ब्रह्मपुर, डाकघर-रतनपुर, थाना कामताडल, जिला-दरभंगा।
40. अरविंद कुमार मिश्रा पिता-श्री अभिराम मिश्रा निवासी ग्राम-चंपा, डाकघर-दिहटोल पैजुआर, थाना-अरेर, जिला-मधुबनी।
41. प्रेम रंजन उपाध्याय पिता-श्री धीरेंद्र उपाध्याय मोहल्ला-जे. के./डी. 61, पुराना जक्कनपुर, डाकघर- थाना-जक्कनपुर, जिला-पटना।
42. दिवाकर शर्मा पिता-श्री लाल बाबू शर्मा निवासी ग्राम-अताडल्लापुर, डाकघर-थाना लालगंज, जिला-वैशाली।
43. अरुण कुमार पिता-स्वर्गीय संत शरण मोहल्ला-नया क्षेत्र, नवादा, थाना जिला-नवादा।
44. बिमल कुमार पिता-श्री लखन साओ, निवासी रेणु निवास पंचवती नगरत डाकघर-थाना-राजगीर, जिला नालंदा।
45. सुरेश प्रसाद पिता- स्वर्गीय तिलक साओ निवासी ग्राम-प्रसाद बीघा, नवादा, डाकघर- थाना जिला-नवादा।
46. मनोज कुमार पिता-श्री किशना बिहारी प्रसाद ग्राम डाकघर-बिंदावलिया, थाना-कुचलकोट, जिला-गोपालगंज।
47. मो. खुशनूद अहसान राज पिता- मोहम्मद अयूब अंसारी अंसारी निवासी मोहल्ला शेखाना कलां, डाकघर- थाना-बिहारशरीफ, जिला-नालंदा।

48. विनोद कुमार पाल पिता-रामचंद्र महतो ग्राम डाकघर-शिवनार, थाना-मोकामा, जिला-पटना।
49. डॉ. रवींद्र कुमार पिता-स्वर्गीय बूंदी पासवान ग्राम-सोनसा, डाकघर-सिहिन, थाना-हिमुआ, जिला-नवादा।
50. डॉ. रानी कुमारी अभिभावक- दीपक कुमार जेथरिया हाउस राजेंद्र नगर रोड नंबर 2, डाकघर- थाना-कदमकुआं, जिला-पटना।
51. दिनेश प्रसाद पिता-रतन लाल प्रसाद गांव-पलगौरा, डाकघर-अहियापुर, थाना- शेबगंज, जिला-मुजफ्फरपुर।
52. मुरारी कांत प्रसाद पिता-रामकेश्वर प्रसाद निवासी ग्राम-माना, डाकघर-बंगपुर, थाना-परवालपुर, जिला-नालंदा।
53. प्रकाश मोहन सिंह पिता-स्वर्गीय रघुबंश प्रसाद सिंह ग्राम डाकघर-ढाबौली, थाना-सोरबाजार, जिला-सहरसा।
54. डॉ. राजीव कुमार सिंह पिता-प्रद्युम्न नारायण सिंह ग्राम डाकघर-सरदिहा, थाना- बछित्यारपुर, जिला-सहारनपुर।
55. सहजानंद कुमार पिता-श्री ललितेश कुमार मोहल्ला-नई आदर्श कॉलोनी, एन. आर. एल. पेट्रोल पंप के पास, डाकघर-बहादुरपुर हाउस कॉलोनी, थाना- आगमकुना, जिला-पटना।
56. हरेंद्र सिंह पिता-स्वर्गीय यादव सिंह ग्राम डाकघर- थाना-गढानी, जिला-भोजपुर।
57. नीलमणि कुमार पाठक पिता-स्वर्गीय रामेश्वर नाथ पाठक महावीर स्थान, मौलबाग, डाकघर-आरा, थाना-टाऊन आरा, जिला-भोजपुर।
58. दीपक सावरकर पिता-श्री राम बालक पोद्धार चित्रागुपा नगर, पोखरिया, डाकघर-बेगुसराय, थाना-बेगुसराय सदर, जिला-बेगुसराय।
59. दिनेश कुमार पिता-सूर्यदेव साह निवासी गांव डाकघर-योगीवाना बाजार, थाना- बाथनाहा, जिला-सीतामढ़ी।
60. डॉ. राज किशोर सिंह नाग नारायण सिंह गांव-एकारी, थाना -एकमा, जिला- छापरा।
61. रंजीत पंजियारा पिता-बासुदेव पंजियारा निवासी ग्राम डाकघर-टाटरी जाला, थाना-संग्रामपुर, जिला-मुंगेर।
62. सोमेश कुमार पिता-राम स्वरूप सिंह निवासी ग्राम-बासन बीघा, डाकघर-उशारी, थाना-करपी, जिला-अरवल।
63. संजीव कुमार पिता-तिलेश्वर कुमार ग्राम-इमरी वेस्ट तोला, डाकघर-इमरी, थाना-सिमरी, जिला-बक्सर।

64. डॉ. ठाकुर संजय सिंह तोमर पिता-भुवनेश्वर प्रसाद सिंह ग्राम डाकघर-महिनाथ नगर, थाना-बेलदौर, जिला-खगड़िया।
65. संजय कुमार पिता-श्री संत कुमार यादव गांव-महेशपुर, डाकघर-समदा, थाना-सोर बाजार, जिला-सहरसा।
66. अनिल कुमार सिंह पिता-श्री सुरेंद्र नारायण सिंह ग्राम डाकघर-सुखपुर, थाना जिला-सुपौल।
67. गर्जेंद्र कुमार पिता-श्री जैनारायण साह निवासी ग्राम-महिसर्हो, डाकघर-सरौनी, थाना-महिशी, जिला-सहरसा।
68. नागेंद्र कुमार पिता-सरयू प्रसाद निवासी गांव-रुस्तम चक, डाकघर-गयानी बीघा, थाना-शकुराबाद, जिला-जहानाबाद।
69. बिनोद कुमार सिंह पिता-महादेव सिंह निवासी ग्राम-मंदर, डाकघर-मिर्जापुर, थाना-नबीनगर, जिला-औरंगाबाद।
70. नईयर इकबाल पिता-इजहार इमाम निवासी ग्राम-अबगीला, डाकघर-बुनियांगंज, थाना-मोफसिल, जिला-गया।
71. डॉ. मनोज कुमार वर्मा पिता-जगदेव प्रसाद निवासी ग्राम-जयनगर बस्ती फरदाही तोला, डाकघर- थाना-जयनगर, जिला-मधुबनी।
72. अनिल कुमार गुप्ता पिता-श्री राधे श्याम प्रसाद पुरानी बाजार वार्ड संख्या 11, रानीसाती मंदिर के पास, थाना जिला-सीतामढ़ी।
73. राम सागर यादव पिता-श्री अमीरचंद चौधरी निवासी फ्लैट संख्या202, ब्लॉक-बी/2 नारायण श्री अपार्टमेंट शेखपुरा, बी. वी. कॉलेज, थाना-शास्त्री नगर, जिला-पटना।
74. गायत्री कुमारी पति- मिथीलेश कुमार सिन्हा निवासी ग्राम डाकघर-रसीसा, थाना-एकंगरसराय, जिला नालंदा।
75. रविशंकर प्रसाद पिता-भागवत प्रसाद निवासी निवासी ग्राम-सदर चौक, डाकघर- थाना-देहड़ी-ऑन-सोन, जिला-रोहतास।
76. सुनील कुमार तांती पिता-सरयुग तांती निवासी गांव-मेयर, डाकघर-काई मेयर, थाना-नूरसराय, जिला-नालंदा।
77. अभय कुमार सिंह पिता-स्वर्गीय भालेश्वर प्रसाद सिंह जगदीशपुर, डाकघर- थाना-जनदह, जिला-वैशाली।
78. मो. शकील अख्तर पिता- मोहम्मद निजामुद्दीन निवासी ग्राम-गंगापुर, थाना- कुर्था, जिला-अरवल।
79. शमीमुर रहमान पिता-ताजरुल रहमान निवासी ग्राम-भगौता, डाकघर- लक्समीगंज, थाना-गोरियाकोठी, जिला-सिवान।

80. गोरखनाथ यादव पिता-स्वर्गीय बलरूप प्रसाद यादव निवासी ग्राम-अमावा नाकाछेड़, थाना जिला-गोपालगंज।
81. डॉ. चंद्रमुली त्रिपाठी पिता-स्वर्गीय नंद किशोर त्रिपाठी ग्राम अमाही शुक्ला, डाकघर-दुबे जिगिना, थाना-भोरे, जिला-गोपालगंज।
82. विनीत कुमार पिता-स्वर्गीय सीताराम सिंह निवासी ग्राम डाकघर- सरबा, थाना- बरबीधा, जिला-शेखपुरा।
83. राकेश कुमार पिता-राम लगान सिंह निवासी ग्राम-लोहियानगर, डाकघर- सुहिरदनगर, थाना-मुफसिल, जिला-बेगुसराय।
84. कुमारी लालमणि पिता-श्री जनार्दन प्रसाद मंडल ग्राम डाकघर-बनारझुला, थाना सोनबरसा, जिला-सीतामढ़ी।
85. किरण कुमारी पति- डॉ. उपेंद्र प्रसाद गुप्ता राजीव नगर रोड, नंबर 18, डाकघर- केशरीनगर, जिला-पटना -24.
86. सुरेश पंडित पिता-धनुषधारी पंडित निवासी ग्राम डाकघर- थाना-शाहजहांपुर, जिला-पटना।
87. अखिलेश्वर प्रसाद पिता-परमेश्वर प्रसाद निवासी ग्राम-सरिल चक, थाना पोस्ट व जिला नालंदा।

..... उत्तरदातागण

के साथ में

2017 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 3846

में

2021 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 628

1. जानकी रमन श्री सिद्धेश्वर साह के गोरिगामा निवासी, डाकघर-मन्नानपुर मोरसंद, थाना -रुन्नीसैदपुर , जिला-सीतामढ़ी
2. श्याम किशोर पोद्दार पिता- स्वर्गीय अयोध्या पोद्दार, निवासी ग्राम -नवरतन हाट, पूर्णिया डाकघर- – पूर्णिया, थाना - साँचीहाट, जिला-पूर्णिया।
3. अमरेश कुमार पिता- स्वर्गीय मुरलीधर ठाकुर निवासी ग्राम-पूर्वी तोला बांगोन के निवासी, डाकघर- थाना –बननिवासी ग्राम , जिला-सहरसा
4. संजय कुमार पिता-स्वर्गीय गंगापति मलिक निवासी मोहल्ला-मटिया दीह महावीर नगर, डाकघर- मोतिहारी, थाना छतौनी, जिला-पूर्वी चंपारण।
5. दिनबंधु पिता-सूर्यदेव साह, निवासी ग्राम व डाकघर- – जोगवाना बाजार, थाना – बथनाहा, जिला-समस्तीपुर।

6. श्री रमाकांत झा के पिता-गंगेश कुमार झा निवासी ग्राम-ततुआर पूर्वी तोला, थाना - मणिगाछी जिला-दरभंगा।
7. मो. शाहनवाज़ रिज़वी, पिता-मो. अज़्जीज़ुल हकीम निवासी आसनदपुर, डाकघर- - भागलपुर सिटी, थाना -भागलपुर विश्वविद्यालय, जिला-भागलपुर।
8. डॉ. राकेश कुमार परिमल पिता- स्वर्गीय किशन प्रसाद सिंह निवासी ग्राम डाकघर- -पररिया, थाना -शंभुगंज, जिला-बांका।
9. राजदेव कुमार पिता- केशव कुमार सिंह, निवासी ग्राम और डाकघर-करहरिया, थाना -बाथ, जिला-भागलपुर।
10. राजेश कुमार पिता-योगेंद्र कुमार निवासी जानकी भवन, शिक्षक कॉलोनी, बस स्टैंड, राजगीर, जिला-नालंदा।
11. उपेंद्र बैठा, पिता-श्री दशरथ बैठा, निवासी ग्राम डाकघर- - गरीबा, थाना-कल्याणपुर, जिला-पूर्वी चंपारण।
12. अरविंद कुमार मिश्रा, पिता- श्री अभिराम मिश्रा, निवासी ग्राम-चंपा, डाकघर- - दिहतोल पैजुआर, थाना -अरेर, जिला-मधुबनी।
13. हरेंद्र सिंह पिता- स्वर्गीय यादव सिंह निवासी ग्राम-गढ़ानी, डाकघर- और थाना - गरहानि, जिला-भोजपुर हैं।
14. दिनेश कुमार पिता- सूर्यदेव साह निवासी ग्राम और डाकघर- - योगीवाना बाजार, थाना- बथनाहा, जिला-सीतामढ़ी।
15. अनिल कुमार गुप्ता पिता-श्री राधे श्याम प्रसाद निवासी पुरानी बाजार वार्ड न० - 11, रानीसाती मंदिर के पास, डाकघर- और थाना सीतामढ़ी, जिला-सीतामढ़ी।
16. राम सागर यादव पिता- श्री अमीरचंद निवासी- चौधरी फ्लैट 202, ब्लॉक-बी/2 नारायण श्री अपार्टमेंट शेखपुरा, बी. वी. कॉलेज, थाना -शाष्त्री नगर, जिला-पटना।
17. गायत्री कुमारी पति- मिथिलेश कुमार सिन्हा, निवासी ग्राम -डाकघर- -रसीसा, थाना -एकानगरसराई, जिला-नालंदा।
18. रविशंकर प्रसाद पिता- भावत प्रसाद, निवासी ग्राम-सदर चौक, डाकघर- थाना -देहरी ओन सोन, जिला-रोहतास।
19. राकेश कुमार पिता- राम लगान सिंह, निवासी ग्राम-लोहियानगर, डाकघर- - सुहिरदनगर, थाना - मुफसिल , जिला-बेगुसराय।
20. अखिलेश्वर प्रसाद, पिता- परमेश्वर प्रसाद, निवासी गांव-सरिल चक, डाकघर- और थाना नालंदा, जिला-नालंदा।

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. बिहार सरकार के मुख्य सचिव के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, शिक्षा विभाग, नया सचिवालय, पटना।
4. निदेशक, अनुसंधान और प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग, नया सचिवालय, बिहार सरकार, पटना।
5. निदेशक, (प्रशासन-सह-विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, नया सचिवालय, बिहार सरकार, पटना।
6. क्षेत्रीय निदेशक, पूर्वी क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, 15, नीलकांत नगर, नयापट्टी, भुवनेश्वर, ओडिशा।
7. उप निदेशक, सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र, संस्कृति मंत्रालय, इनिडा सरकार, प्लॉट नं। 15 ए, सेक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली
8. बिहार लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना के माध्यम से।
9. संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना।
10. श्यामानंद आजाद पिता-स्वर्गीय हरि नंदन सिन्हा ग्राम थाना-सकतपुर, डाकघर-पोखरबिंदा, जिला-दरभंगा, प्रेजेंट पोस्टेड कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, समस्तीपुर।
11. बीरेंद्र कुमार मिश्रा निवासी ग्राम-पजौधा, निवासी ग्राम-पजौधा, थाना-दरोंदा, जिला-सिवान।
12. बिनोद कुमार गुसा पिता-रामेश्वर पी. डी. गुसा निवासी सतघरा राजनगर, गांधी चौक, डाकघर- थाना-राजनगर, जिला-मधुबनी।
13. ब्रह्मचारी अजय कुमार, पिता-श्री रामेश्वर सिंह निवासी गांव-दरियापुर हाऊस शास्त्रीनगर पूर्व, रोड न०.03, डाकघर-जी. डाकघर- गया, थाना-रामपुर, जिला-गया।
14. मो. बशीर हसन मंजेर, पिता- मो. शब्बीर हसन मंजेर, बेंटा, डाकघर-डी. एम. सी. कैम्पस, थाना-लहरियासराई, जिला-दरभंगा।
15. बसंत कुमार चौधरी पिता-स्वर्गीय बालमुकुंद चौधरी निवासी ग्राम-खेराजपुर पूर्व, डाकघर-खेराजपुर, थाना-बहादुरपुर, जिला-दरभंगा।
16. राकेश कुमार पिता-कौशल किशोर प्रसाद बाजितपुर किलाघाट, डाकघर- शुभंकरपुर, थाना-लहरियासराई, जिला-दरभंगा।

17. रंजीत कुमार पिता-ब्रज नंदन पटेल ग्राम-बसौली, डाकघर-बिशनपुर टिटिधा, थाना-राजापाकर, जिला-वैशाली।
18. मो. शब्बीर हुसैन पिता-स्वर्गीय मो. मुसलेहुद्दुन, निवासी ग्राम डाकघर-परसौनी, थाना-बिस्फी, जिला-मधुबनी।
19. दया राम यादव पिता-स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद यादव ग्राम डाकघर-कोयलस्थान, थाना-केओटी, जिला-दरभंगा।
20. अमरेंद्र कुमार कामा पिता-श्री बलदेव लाल ग्राम-रुस्तानपुर, डाकघर - हयघाट, थाना-हयघाट, जिला-दरभंगा।
21. अर्जुम वसीस पिता- मोहम्मद नजीम निवासी ग्राम-मणियारपुर, थाना-वारिसनगर, जिला-समस्तीपुर।
22. शत्रुघ्न मेहता पिता-स्वर्गीय रामलखन मेहता निवासी ग्राम-हरिसनसारी, थाना -शालखुआ, जिला-सहरसा।
23. अजय कुमार प्रभात पिता-स्वर्गीय सिद्धेश्वर अनाज, निवासी गांव-शिवनगर, डाकघर-हबीबपुर, थाना-परवालपुर, जिला-नालंदा।
24. यमुना प्रसाद पिता-मुरली प्रसाद निवासी ग्राम व डाकघर- तिलौथू, जिला-रोहतास।
25. गुलाबचंद पिता-श्री मुद्रिका प्रसाद ग्राम-शाहपुर, डाकघर- बहुआरा, थाना –दवाथ, जिला-रोहतास।
26. अरुण कुमार उपाध्याय पिता-स्वर्गीय राम प्रवेस उपाध्याय, निवासी गांव-मौदिहान, डाकघर- बरवान काला, थाना- दरीहाट, जिला-रोहतास
27. डॉ. इसाम लाल करहरिया, पिता-उपेंद्र प्रसाद सिंह निवासी उपनू विला, सितला स्थान रोड, डाकघर- थाना –इसाक चक गुमती न० - 12, जिला-भागलपुर।
28. विनोद कुमार पिता-श्री आनंदी सिन्हा ग्राम डाकघर-परारिया, थाना-शंभूगंज, जिला-बांका
29. चंद्र शेखर कुमार पिता-श्री राम प्रसाद वर्मा निवासी ग्राम-मोगलकुआं डाकघर-थाना-सोहसराय, जिला-नालंदा।
30. प्रसून कुमार अकेला पिता-स्वर्गीय अनिरुद्ध प्रसाद कथल तोला, शिव मंदिर के पास, डाकघर- थाना-सोहसराय, जिला-नालंदा।
31. संजीव कुमार स्वर्गीय मदन मोहन लाई निवासी ग्राम के निवासी और दुर्गापुर के बाट, थानागिरियाक, जिला-नालंदा
32. कृष्ण कुमार पिता-श्री योगेंद्र प्रसाद ग्राम-बारी पहाड़ी, भारतीय स्टेट बैंक के पास, डाकघर- सोहसराय, थाना- लहेरी जिला-नवादा।

33. राजेश कुमार सिंह पिता-श्यामदेव सिंह ग्राम डाकघर- थाना - दरीहाट, जिला रोहतास।
34. संजय कुमार पिता-हरीश चंद्र ठाकुर ग्राम-ब्रह्मपुर, डाकघर-रतनपुर, थाना - कामतौल, जिला-दरभंगा।
35. प्रेम राजन उपाध्याय पिता-श्री धीरेंद्र उपाध्याय मोहल्ला-जेके/डी-61, पुराना जवकनपुर, डाकघर- थाना-जवकनपुर, जिला-पटना।
36. दिवाकर शर्मा पिता-श्री लाल बाबू शर्मा ग्राम-अताऊलापुर, डाकघर- थाना लालगंज, जिला-वैशाली।
37. स्वर्गीय संत शरण के पिता-अरुण कुमार, मोहल्ला न्यू एरिया के निवासी, डाकघर- और थाना नवादा, जिला नवादा।
38. बिमल कुमार पिता-लखन साव निवासी रेणु निवास, पंचवटी नगर, डाकघर- और थाना राजगीर, जिला-नालंदा।
39. सुरेश प्रसाद पिता-स्वर्गीय तिलक साव ग्राम-प्रसाद बीघा, नवादा, डाकघर- थाना जिला-नवादा।
40. मनोज कुमार पिता-श्री किशना बिहारी प्रसाद निवासी ग्राम डाकघर- बिंदावालिया, थाना - कुचाईकोट, जिला-गोपालगंज
41. अरुण कुमार पिता-गंगापति मलिक ग्राम-मिथियाडीह, महावीर नगर, डाकघर- थाना -मोतिहारी, जिला-पूर्वी चंपारण।
42. मो. खुशनूद अहसान राज, पिता- मोहम्मद अयूब अंसारी निवासी मोहल्ला- शेखाना कलान, डाकघर- थाना - बिहारशरीफ, जिला-नालंदा।
43. विनोद कुमार पाल पिता-रामचंद्र महतो निवासी ग्राम डाकघर- शिवनार, थाना मोकामा, जिला-पटना।
44. डॉ. रवींद्र कुमार पिता-स्वर्गीय बूंदी पासवान ग्राम-सोनसा, डाकघर- सिहिन, थाना - हिसुआ, जिला-नवादा।
45. डॉ. प्रभा कुमारी पिता-श्री जितेंद्र कुमार सिंह ग्राम एवं डाकघर- खजुरी, थाना - नौबतपुर, जिला-पटना।
46. डॉ. रानी कुमारी अभिभावक- दीपक कुमार निवासी- जेथरिया हाउस राजेंद्र नगर रोड नंबर 2, डाकघर- थाना-कदमकुआं, जिला-पटना।
47. श्रीकांत प्रसाद पिता-कपिलदेव प्रसाद ग्राम डाकघर-बर्दीह, थाना-इस्लामपुर, जिला-नालंदा।
48. दिनेश प्रसाद पिता-रत्न लाल प्रसाद ग्राम-पालगौरा, डाकघर-अहियापुर, थाना- साहेबगंज, जिला-मुजफ्फरपुर।

49. मुरारी कांत प्रसाद पिता-रामकेश्वर प्रसाद निवासी ग्राम-माना, डाकघर-बंगपुर, थाना-परवालपुर, जिला-नालंदा।
50. प्रकाश मोहन सिंह पिता-स्वर्गीय रघुबंश प्रसाद सिंह ग्राम/डाकघर-ढाबौली, थाना-सोरबाजार, जिला-सहरसा।
51. डॉ. राजीव कुमार सिंह पिता-प्रद्युम्न नारायण सिंह ग्राम डाकघर-सरदिहा, थाना-बछितयारपुर, जिला-सहारनपुर।
52. सहजानंद कुमार पिता-श्री ललितेश कुमार निवासी मोहल्ला-नई आदर्श कॉलोनी, एन. आर. एल. पेट्रोल पंप के पास, डाकघर-बहादुरपुर हाऊस कॉलोनी, थाना-अगमकुआं, जिला-पटना।
53. नीलमणि कुमार पाठक पिता-स्वर्गीय रामेश्वर नाथ पाठक महावीर स्थान, मौलाबाग, डाकघर-आरा, थाना टाउन आरा, जिला-भोजपुर।
54. दीपक सावरकर पिता-श्री राम बालक पोद्धार, चित्रागुपा नगर, पोखरिया, डाकघर-बेगुसराय, थाना-बेगुसराय सदर, जिला-बेगुसराय।
55. उमेश महतो पिता-रामदेव महतो निवासी ग्राम-बिस्ता, डाकघर-मुशाहमिया, थाना-सोनबरसा, जिला-सीतामढ़ी।
56. डॉ. राज किशोर सिंह पिता-नाग नारायण सिंह गांव-एकारी, थाना -एकमा, जिला-छापरा।
57. रंजीत पंजियारा, पिता-बासुदेव पंजियारा निवासी ग्राम डाकघर-दादरी जाला, थाना-संग्रामपुर, जिला-मुंगेर।
58. सोमेश कुमार पिता-राम स्वरूप सिंह निवासी ग्राम-बासन बीघा, डाकघर-उशारी, थाना-करपी, जिला-अरवल।
59. संजीव कुमार पिता-तिलेश्वर कुमार ग्राम-झुमरी पश्चिम तोला, डाकघर-झुमरी, थाना - सिमरी, जिला-बक्सर।
60. डॉ. ठाकुर संजय सिंह पिता-भुवनेश्वर प्रसाद सिंह ग्राम डाकघर-महिनाथ नगर, थाना-बेलदौर, जिला-खगड़िया।
61. संजय कुमार पिता-श्री संत कुमार यादव गांव-महेशपुर, डाकघर-समदा, थाना - सौर बाजार, जिला-सहरसा।
62. अनिल कुमार सिंह पिता-श्री सुरेंद्र सिंह ग्राम डाकघर-सुखपुर, थाना व जिला - सुपौल।
63. गर्जेंद्र कुमार पिता-श्री जैनारायण साह ग्राम-महिसर्ही, डाकघर-सरौनी, थाना-महिशी, जिला-सहरसा।
64. नागेंद्र कुमार पिता-सरयू प्रसाद निवासी गांव-रुस्तम चक, डाकघर-गायनी बीघा, थाना-शकुराबाद, जिला-जहानाबाद।

65. मो. जमील अख्तर पिता- मोहम्मद निजामुद्दीन, निवासी ग्राम-गंगापुर, थाना - कुर्था, जिला-अरवल।
66. बिनोद कुमार सिंह पिता-महादेव सिंह ग्राम-मंदर, डाकघर- मिर्जापुर, थाना - नबीनगर, जिला-औरंगाबाद।
67. सुरेश शर्मा पिता-स्वर्गीय गनौरी शर्मा ग्राम डाकघर- नोवान, थाना-शकुराबाद, जिला-जहानाबाद।
68. नईयर इकबाल पिता-इजहार इमाम निवासी ग्राम-अबगीला, डाकघर-बुनियांगंज, थाना-मोफासिल, जिला-गया।
69. डॉ. मनोज कुमार वर्मा पिता-जगदेव प्रसाद निवासी ग्राम-जयनगर बस्ती फरदाही तोला, डाकघर- व थाना -जयनगर, जिला-मधुबनी।
70. डॉ. मनोज कुमार विद्यार्थी पिता-श्री अखिलेश्वर शर्मा निवासी ग्राम-डाकघर- नोवान, थाना - सकुराबाद, जिला-जहानाबाद।
71. सुनील कुमार तांती पिता-सरयुग तांती निवासी गांव-मेयर, डाकघर-काई मेयर, थाना-नूरसराय, जिला-नालंदा।
72. मो. नजीर हयात पिता- मोहम्मद जुबैर आलम निवासी ग्राम-मैनपुर, डाकघर- कुजरी, थाना-पलासी, जिला-अररिया।
73. अभय कुमार सिंह, पिता-स्वर्गीय भालेश्वर प्रसाद सिंह निवासी जगदीशपुर, थाना -जनदह, जिला-वैशाली।
74. मो. शकील अख्तर पिता- मोहम्मद निजामुद्दीन निवासी ग्राम-गंगापुर, थाना- कुर्था, जिला-अरवल।
75. शमीमुर रहमान, पिता-ताजरुल रहमान निवासी ग्राम-भगौता, डाकघर- लक्समीगंज, थाना-गोरियाकोठी, जिला-सिवान।
76. गोरखनाथ यादव पिता-स्वर्गीय बलरूप प्रसाद यादव निवासी ग्राम-अमावा नाकाछेड़, थाना व जिला -गोपालगंज।
77. डॉ. चंद्रमुली त्रिपाठी पिता-स्वर्गीय नंद किशोर त्रिपाठी ग्राम-अमाही शुक्ला, डाकघर-दुबे जिगिना, थाना-भोरे, जिला-गोपालगंज।
78. अखिलेश कुमार पिता-श्री बाबू नंद सिन्हा निवासी ग्राम-निरजा नगर रत्नपुर, थाना व जिला -बेगुसराय।
79. विनीत कुमार पिता-स्वर्गीय सीताराम सिंह ग्राम डाकघर-सरबा, थाना- बरबीघा, जिला-शेखपुरा।
80. कुमारी लालमणि पिता-श्री जनार्दन प्रसाद मंडल ग्राम डाकघर-बनारझुला, थाना- सोनबरसा, जिला-सीतामढ़ी।

81. किरण कुमारी पति- डॉ. उर्पेंद्र प्रसाद गुप्ता राजीव नगर रोड पर, डाकघर-केशरीनगर, जिला-पटना-24।
82. सुरेश पंडित, पिता-धनुषधारी पंडित निवासी ग्राम थाना -शाहजहांपुर, जिला-पटना।

..... उत्तरदातागण

=====
के साथ में

**2017 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 3846
में**

2021 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 629

1. श्यामानंद आजाद पिता- स्वर्गीय हरि नंदन सिन्हा निवासी ग्राम सकतपुर, डाकघर- पोखरबिंदा, थाना सकतपुर, जिला-दरभंगा।
2. बीरेंद्र कुमार मिश्रा पिता- राघव सरन मिश्रा निवासी ग्राम-पजौधा, थाना दरौंदा, जिला-सिवान।
3. बिनोद कुमार गुप्ता पिता- रामेश्वर प्रसाद गुप्ता निवासी सतगढ़ा राजनगर, डाकघर- और थाना-राजनगर, जिला-मधुबनी।
4. ब्रह्मचारी अजय कुमार पिता-श्री रामेश्वर सिंह निवासी गांव दरियापुर हाठस, शास्त्रीनगर पूर्व, रोड नंबर 3, डाकघर- जीपीओ-, गया, थाना-रामपुर, जिला-गया।
5. मो. बशीर हसन मंजेर पिता- मोहम्मद शब्बीर हसन मंजेर ग्राम- बैंटा, डाकघर-डी.एम.सी. कैम्पस, थाना-लहरियासराई, जिला-दरभंगा।
6. बसंत कुमार चौधरी पिता- स्वर्गीय बालमुकुंद चौधरी, निवासी ग्राम खेराजपुर पूर्व, थाना-बहादुरपुर, जिला-दरभंगा।
7. मो. शब्बीर हुसैन पिता- स्वर्गीय मो. मुसलेहुद्दीन, निवासी ग्राम और डाकघर-परसौनी, थाना-बिस्फी, जिला-मधुबनी।
8. यमुना प्रसाद, पिता- श्री मुरली प्रसाद निवासी ग्राम और डाकघर- टीलाऊथू, जिला-रोहतास।
9. स्वर्गीय राम प्रवेश उपाध्याय पिता- अरुण कुमार उपाध्याय निवासी ग्राम मौदिहान, डाकघर- बरावन काला, थाना-दारीहाट, जिला-रोहतास।
10. श्री आनंदी सिन्हा पिता- विनोद कुमार निवासी ग्राम और डाकघर- परारिया, थाना-शंभूगंज, जिला-बांका।
11. संजय कुमार पिता-हरीश चंद्र ठाकुर निवासी ग्राम ब्रह्मपुर, डाकघर-रतनपुर, थाना-कगमताउल, जिला-दरभंगा।

12. प्रेम राजन उपाध्याय पिता- श्री धीरेंद्र उपाध्याय मोहल्ला ओल्ड जक्कनपुर निवासी, डाकघर- और थाना-जक्कनपुर, जिला-पटना।
13. मनोज कुमार पिता- कृष्ण बिहारी प्रसाद निवासी ग्राम और डाकघर- बिंदावलिया, थाना-कुचाईकोट, जिला-गोपालगंज।
14. विनोद कुमार पाल निवासी ग्राम रामचंद्र महतो और डाकघर-शिवनार, थाना- मोकामा, जिला-पटना।
15. डॉ. रानी कुमारी अभिभावक- दीपक कुमार निवासी जेथरिया हाऊस, राजेंद्र नगर, रोड नंबर 2, डाकघर- और थाना कदमकुआं, जिला-पटना।
16. दिनेश प्रसाद पिता- रतन लाल प्रसाद निवासी ग्राम पलगौरा, डाकघर- अहियापुर, थाना-साहेबगंज, जिला-मुजफ्फरपुर।
17. मुरारी कांत प्रसाद पिता- रामकेश्वर प्रसाद निवासी ग्राम-माना, डाकघर-बंगपुर, थाना-परवालपुर, जिला-नालंदा के निवासी हैं।
18. प्रकाश मोहन सिंह पिता- स्वर्गीय रघुबंश प्रसाद सिंह निवासी ग्राम और डाकघर- ढाबौली, थाना-सोरबाजार, जिला-सहरसा।
19. डॉ. राजीव कुमार सिंह पिता-प्रदीमना नारायण सिंह निवासी ग्राम और डाकघर- सरदिहा, थाना-बछितयारपुर, जिला-सहरसा।
20. श्री ललितेश कुमार पिता- सहजानंद कुमार, निवासी- न्यू आदर्श कॉलोनी, एनआरआई पेट्रोल पंप के पास, डाकघर- बहादुरपुर हाऊसिंग कॉलोनी, थाना अगमकुआं, जिला-पटना।
21. नीलमणि कुमार पाठक पिता- स्वर्गीय रामेश्वर नाथ निवासी महावीर स्थान, मौलाबाग, डाकघर- आरा, थाना टाठन, जिला-भोजपुर।
22. श्री राम बालक पोद्दार पिता- दीपक सावरकर निवासी चित्रागुपा नगर, पोखरिया, डाकघर-बेगुसराय, थाना-बेगुसराय सदर, जिला-बेगुसराय।
23. रंजीत पंजियारा पिता- बसुदेव पंजियारा निवासी ग्राम-पी.ओ.-दादरी जाला, थाना-संगामपुर, जिला-मुंगेर।
24. सोमेश कुमार पिता-राम स्वरूप सिंह निवासी ग्राम बसन बीघा, डाकघर- उशारी, थाना-करपी, जिला-अरवल।
25. संजीव कुमार पिता-तिलेश्वर कुमार निवासी ग्राम-डुमरी पश्चिम तोला, डाकघर- डुमरी, थाना-सिमरी, जिला-बक्सर।
26. डॉ. ठाकुर संजय सिंह तोमर पिता-भुवनेश्वर प्रसाद सिंह निवासी गांव और डाकघर-महिनाथ नगर, थाना-बेलदौर, जिला-खगड़िया।
27. अनिल कुमार सिंह पिता- श्री सुरेंद्र नारायण सिंह निवासी ग्राम-डाकघर- सुखपुर, थाना और जिला-सुपौल का निवासी है।

28. नार्गेंद्र कुमार पिता- सरयू प्रसाद निवासी गांव-रुस्तम चक, डाकघर-गयानी बीघा, थाना-शकुराबाद, जिला-जहानाबाद।
29. बिनोद कुमार सिंह पिता- महादेव सिंह, निवासी ग्राम मंदर, डाकघर-मिर्जापुर, थाना-नबीनगर, जिला-औरंगाबाद।
30. रंजीन्द्र शर्मा उर्फ राजेन्द्र शर्मा पिता- श्री बेचन शर्मा, निवासी ग्राम और डाकघर- भिंडासपुर, थाना बेलागंज, जिला-गया।
31. मो. शकील अख्तर पिता- मोहम्मद निजामुद्दीन निवासी ग्राम -गंगापुर, थाना-कुर्था, जिला-अरवल।
32. मो. शमीमुर रहमान पिता-तज़रुल रहमान निवासी ग्राम भगौता, डाकघर-लक्समीगंज, थाना-गोरियाकोठी, जिला-सिवान।

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. बिहार सरकार के मुख्य सचिव के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, शिक्षा विभाग, नया सचिवालय, पटना।
4. निदेशक, अनुसंधान और प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग, नया सचिवालय, बिहार सरकार, पटना।
5. निदेशक (प्रशासन)-सह-विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, नया सचिवालय, बिहार सरकार, पटना।
6. क्षेत्रीय निदेशक, पूर्वी क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, 15, नीलकांत नगर, नयापट्टी, भुवनेश्वर, ओडिशा।
7. उप निदेशक, सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, प्लॉट नं। 15 ए, सेक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली
8. बिहार लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना के माध्यम से।
9. संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना।

..... उत्तरदातागण

=====
के साथ में

2019 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 718

में

2021 की पत्र पेटेंट अपील संख्या 649

1. अखिलेश कुमार पिता- स्वर्गीय नागेंद्र प्रसाद निवासी- हाउस नंबर 62, आदर्श कॉलोनी, सगुना मोर, दानापुर, पटना, पुलिस स्टेशन-दानापुर, जिला-पटना।
2. हृदयानंद सिंह पिता-स्वर्गीय बैकुंथ सिंह निवासी ग्राम-बिठुना, पुलिस स्टेशन-भगवानपुर, जिला-सिवान।

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार सरकार के मुख्य सचिव के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार।
3. प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग (शिक्षा विभाग, नया सचिवालय), बिहार सरकार, पटना।
4. निदेशक, अनुसंधान और प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग, नया सचिवालय, बिहार सरकार, पटना।
5. निदेशक (प्रशासन)-सह-विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, नया सचिवालय, बिहार सरकार, पटना।
6. क्षेत्रीय निदेशक, पूर्वी क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, 15, नीलकंठ नगर, नयापट्टी, भुवनेश्वर (ओडिशा)।
7. उप निदेशक, संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र (संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार), प्लॉट संख्या 15 ए, सेक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली।
8. संजय कुमार पशुपति नाथ निवासी का बेटा आर. एम. एस. डाकघर के पास, स्टेशन रोड, पुलिस स्टेशन-नवादा, जिला-नवादा।
9. ओम प्रकाश सिंह पिता- रामचंद्र प्रसाद निवासी- न्यू एरिया राजेंद्र नगर, पुलिस स्टेशन और जिला-नवादा।
10. जनार्थन प्रसाद पिता- श्री हर्षदे महतो निवासी ग्राम-धनमा, पुलिस स्टेशन-चंद्रदीप, जिला-जमुई का निवासी है।

..... उत्तरदातागण

के साथ में

2017 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 3846

में

2021 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 673

1. बिमल कुमार पिता-लखन साव, निवासी रेणु निवास, पंचवटी नगर, डाकघर-और थाना राजगीर, जिला-नालंदा।
2. अरुण कुमार, पिता- स्वर्गीय संत शरण निवासी- मोहल्ला न्यू एरिया, डाकघर-और थाना नवादा, जिला-नवादा।
3. संजीव कुमार, पिता- स्वर्गीय मदन मोहन लाल-, निवासी- मोहल्ला चौखंडीपार, डाकघर- और थाना-बिहारशरीफ, जिला-नालंदा।

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. बिहार सरकार के मुख्य सचिव के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, शिक्षा विभाग, नया सचिवालय, पटना।
4. निदेशक, अनुसंधान और प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग, नया सचिवालय, बिहार सरकार, पटना।
5. निदेशक (प्रशासन)-सह-विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, नया सचिवालय, बिहार सरकार, पटना।
6. क्षेत्रीय निदेशक, पूर्वी क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, 15, नीलकांत नगर, नयापट्टी, भुवनेश्वर, ओडिशा।
7. उप निदेशक, सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, प्लॉट नं। 15 ए, सेक्टर-7, द्वारका नई दिल्ली।
8. बिहार लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना के माध्यम से।
9. संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना।

..... उत्तरदातागण

उपस्थिति:

(2021 के लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 685 में)

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| अपीलार्थियों के लिए : | श्री अभिनव श्रीवास्तव, अधिवक्ता |
| प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता : | श्री शशि शेखर तिवारी, अधिवक्ता |
| बी.पी.एस.सी. के अधिवक्ता : | श्री संजय पांडे, अधिवक्ता |
| | श्री निशांत कुमार झा, अधिवक्ता |

(2021 के 628, 2021 के 629, 2021 के 649 और 2021 के लेटर्स पेटेंट
अपील संख्या 673 में)

अपीलार्थियों के लिए	:	श्री संजय सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री संजीव कुमार सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता	:	श्री शशि शेखर तिवारी:
बी.पी.एस.सी. के अधिवक्ता	:	श्री संजय पांडे, अधिवक्ता
		श्री निशांत कुमार झा, अधिवक्ता

अपील- उस निर्णय के खिलाफ दायर की गई, जिसमें माननीय एकल न्यायाधीश
ने वर्तमान अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया।

अपीलकर्ता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से
सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए थे। सरकार ने प्राचार्य और
व्याख्याताओं के पदस्थापन के लिए एक पैनल तैयार करने हेतु एक सूचना
जारी की। इस सूचना में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए योग्यताएं निर्धारित की
गई थीं। अपीलकर्ताओं के आवेदन को शॉर्टलिस्ट किया गया और उन्होंने
विभिन्न संस्थानों में प्रतिनियुक्ति के लिए चयन हेतु आयोजित कार्यशाला में
भाग लिया। अपीलकर्ताओं को शैक्षणिक प्रशिक्षण काँलेजों में प्रतिनियुक्ति पर
पदस्थापना के लिए चिन्हित किया गया।

इसके बाद बिहार शिक्षा सेवा नियम, 2014 बनाए गए। अपीलकर्ताओं ने बिहार
शिक्षा सेवा के 'शोध और प्रशिक्षण कैडर' में शामिल किए जाने के लिए अपने
आवेदन प्रस्तुत किए। अपीलकर्ताओं का दावा खारिज कर दिया गया, जिसके
बाद उन्होंने रिट याचिका दायर की।

अपीलकर्ताओं का कहना था कि, हालांकि कार्यालय आदेश में यह लिखा गया है कि अपीलकर्ताओं को प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया गया है, लेकिन उन्हें प्रतिनियुक्ति भत्ता प्रदान नहीं किया गया। इसलिए, वास्तव में उन्हें प्रश्नगत पदों पर नियमित आधार पर नियुक्त किया गया।

निर्णय -

- **पैनल निर्माण के उद्देश्य:** आवेदन केवल शिक्षकों के लिए नहीं, बल्कि बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक कैडर, अधीनस्थ शिक्षा सेवा और सरकार के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत अन्य अधिकारियों से भी आमंत्रित किए गए थे। यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यह आवेदन केवल पैनल तैयार करने के उद्देश्य से है, और पैनल में शामिल किए गए व्यक्तियों को प्राचार्य या व्याख्याता के रूप में नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा। (पैरा 7)
- **अपीलकर्ताओं का आचरण और दावा:** अपीलकर्ताओं ने उस समय प्रतिनियुक्ति आधार पर पदस्थापना के खिलाफ कोई आपति नहीं जताई, न ही संबंधित प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनियुक्ति भत्ते के लिए कोई अभ्यावेदन दिया। इसके अलावा, यह भी निर्विवाद है कि प्रतियोगी परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी। इसलिए, केवल इस आधार पर कि अपीलकर्ताओं के पास आवश्यक योग्यता थी और उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया, यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें प्रश्नगत पदों पर नियमित रूप से नियुक्त किया गया था।
- जब अपीलकर्ता प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदस्थापित किए गए थे, तो नियम 27 लागू होगा। इसलिए, संबंधित प्राधिकरण ने अपीलकर्ताओं के बिहार शिक्षा

सेवा के शोध और प्रशिक्षण उप-कैंडर में नियमितीकरण/ समायोजन के दावे को सही रूप से खारिज किया। (पैरा 13.2)

अपील खारिज की जाती है। (पैरा 15)

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली
और

माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय
मौखिक निर्णय
(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)

तारीख: 08-07-2024

- वर्तमान अपीलें पटना उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट नियमों के खंड 10 के तहत 2017 के C.W.J.C. संख्या 3846 में पारित सामान्य मौखिक निर्णय और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत अन्य समान मामलों के खिलाफ दायर की गई हैं, जिसके तहत विद्वान एकल न्यायाधीश ने वर्तमान अपीलार्थियों/मूल याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
- चूंकि इन सभी अपीलों में शामिल मुद्दा सामान्य है, इसलिए पक्षों की ओर से पेश विद्वान वकीलों ने संयुक्त रूप से अनुरोध किया कि इन सभी अपीलों की एक साथ सुनवाई की जाए और प्रवेश स्तर पर ही उनका निपटारा किया जाए।
- वर्तमान मामले का तथ्यात्मक मैट्रिक्स इस प्रकार है:-

3.1. यह अपीलार्थियों/मूल याचिकाकर्ताओं का मामला है कि उन्हें विभिन्न सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में अलग-अलग तिथियों और अलग-अलग वर्षों में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। उनके पास उक्त पद के लिए आवश्यक योग्यताएं हैं। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अनुसंधान और प्रशिक्षण निदेशालय ने विभिन्न जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डी.आई.ई.टी.), शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों और प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में प्राचार्यों और व्याख्याताओं के रूप में नियुक्ति के लिए एक पैनल तैयार करने के लिए एक नोटिस जारी किया था। उक्त उद्देश्य के लिए, बिहार शिक्षा सेवा, (प्रशासनिक संवर्ग), अधीनस्थ शिक्षा सेवा संवर्ग के सदस्यों और अन्य अधिकारियों तथा प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चर सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उक्त सूचना के आलोक में सूचीबद्ध होने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए योग्यता निर्धारित की गई है।

3.2. यह अपीलार्थियों/मूल याचिकाकर्ता का मामला है कि इन याचिकाकर्ताओं सहित 295 आवेदकों के पैनल में शामिल करने के लिए उनके आवेदनों को शॉर्टलिस्ट किया गया था।

3.3. इसके अलावा, यह कहा गया है कि शिक्षा विभाग के निदेशक (अनुसंधान और प्रशिक्षण) ने प्राथमिक शिक्षा के निदेशक को उन शिक्षकों की सेवाएं सौंपने के अनुरोध किया, जिन्हें अनुसंधान और प्रशिक्षण निदेशालय के पैनल में शामिल किया गया था। इसके बाद, शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को विभिन्न संस्थानों में प्रतिनियुक्ति के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों से चयन के लिए विकास आवश्यकता विश्लेषण ('डीएनए') की

कार्यशाला में भाग लेने के लिए कहा गया। इसके बाद डीएनए की कार्यशाला दो चरणों में आयोजित की गई। याचिकाकर्ताओं को उक्त डीएनए में भाग लेने के लिए राहत दी गई और अंततः 170 पात्र उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया, जिनमें याचिकाकर्ता भी शामिल थे।

3.4. बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने 05.06.2013 को एक पत्र जारी किया, जिसमें सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया गया कि शिक्षा प्रशिक्षण कॉलेजों में प्रतिनियुक्ति पर तैनाती के लिए कुल 170 शिक्षकों की पहचान की गई है। ऐसे उम्मीदवारों को रिक्त पदों के विरुद्ध अपनी तैनाती के लिए तीन विकल्प चुनने की अनुमति दी गई थी। याचिककर्ताओं का मामला है कि उन्होंने भी अपने विकल्प चुने और अंततः 150 उम्मीदवारों को विभिन्न जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों और प्राथमिक शिक्षक शिक्षा कॉलेज में व्याख्याता के रूप में एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात किया गया, जो कार्यालय आदेश दिनांक 23.07.2013 द्वारा किया गया था। इस चरण में, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि उक्त पत्र में विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि चयनित उम्मीदवारों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात किया जा रहा है और प्रतिनियुक्ति की अवधि को बढ़ाने का निर्णय प्रतिनियुक्त शिक्षकों की संतोषजनक सेवा पर निर्भर करेगा।

3.5. इसके बाद, बिहार शिक्षा सेवा नियम, 2014 (इसके बाद '2014 के नियम' के रूप में संदर्भित) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए थे, जिन्हें शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 698 दिनांक 12.02.2014 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था। नियमों में निर्धारित किया गया है कि

बिहार शिक्षा सेवा में चार उप-संवर्ग होंगे-(i) प्रशासनिक उप-संवर्ग, (ii) प्रशिक्षण उप-संवर्ग, (iii) अनुसंधान और प्रशिक्षण उप-संवर्ग और (iv) एक पृथक उप-संवर्ग।

3.6. यह अपीलार्थियों/मूल याचिकाकर्ताओं का मामला है कि 2014 के नियम बनाने के बाद भी, याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को 2015 में विधिवत बढ़ाया गया था। इसके बाद, याचिकाकर्ताओं ने अनुसंधान और प्रशिक्षण के उक्त संवर्ग में शामिल करने के लिए अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया। जब कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो वे इस न्यायालय के समक्ष CWJC संख्या 19031/2015 दायर किया गया, जिसका निपटारा, आदेश दिनांक - 24.08.2016 के माध्यम से किया गया था, जिसके तहत बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश जारी किया गया था कि वे निर्धारित समय के भीतर प्रतिनिधित्व पर विचार करें और निर्णय लें।

3.7. यह अपीलार्थियों/मूल याचिकाकर्ताओं की शिकायत है कि प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार ने दिनांक 22.11.2016 के आदेश पारित किए, जिससे याचिकाकर्ताओं के दावे को खारिज कर दिया गया।

3.8. अपीलार्थियों/मूल याचिकाकर्ताओं ने, इसलिए, प्रतिवादी अधिकारियों के फैसले को चुनौती देने वाली इस अदालत के समक्ष शीर्षक वाली रिट याचिकाओं को प्राथमिकता दी है और यह प्रार्थना की गई थी कि उक्त निर्णय को रद्द कर दिया जाए और याचिकाकर्ताओं को अनुसंधान और प्रशिक्षण के उक्त संवर्ग में शामिल करने के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएं।

3.9. विद्वान एकल न्यायाधीश ने मौखिक निर्णय दिनांक 01.10.2021 द्वारा रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया और इसलिए, याचिकाकर्ताओं/अपीलार्थियों ने इन अपीलों को प्राथमिकता दी है।

4. हमने श्री संजय सिंह, विद्वान वरिष्ठ वकील, जिन्हें श्री संजीव कुमार सिंह ने एलपीए नंबर 628/2021, 629/2021 और 673/2021 में सहायता प्रदान की, और श्री अभिनव श्रीवास्तव, विद्वान वकील एलपीए नंबर 685/2021 में अपीलार्थियों की ओर से, को सुना। राज्य कि ओर से श्री शशि शेखर तिवारी, विद्वान वकील और बिहार लोक सेवा आयोग के उत्तरदाता की ओर से श्री संजय पांडे, विद्वान वकील जिन्हें श्री निशांत कुमार झा ने सहायता प्रदान की।

5. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील मुख्य रूप से तर्क देंगे कि अपीलार्थी/याचिकाकर्ताओं के पास आवश्यक शैक्षिक योग्यता थी और उन्हें बिहार लोक सेवा आयोग (बी. पी. एस. सी.) द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अनुसंधान और प्रशिक्षण निदेशालय से जारी एक नोटिस के माध्यम से, बिहार राज्य के भीतर प्रशिक्षण महाविद्यालयों, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों और शिक्षा महाविद्यालयों में प्राथमिक शिक्षकों के पदों को भरने के लिए सूची तैयार करने के लिए योग्य शिक्षकों और शिक्षा सेवाओं के सदस्यों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसके बाद, उक्त पद को भरने के लिए डी. एन. ए. के लिए कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया गया और परीक्षा की विस्तृत प्रक्रिया का पालन करने और आवश्यक योग्यता रखने वाले विभिन्न विद्यालयों में काम करने वाले योग्य शिक्षकों के चयन के बाद,

अपीलकर्ताओं/याचिकाकर्ताओं का चयन विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में व्याख्याताओं/शिक्षकों के पदों से जुड़े कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए किया गया।

5.1. आगे तर्क दिया गया कि 2014 के नियमों को अधिसूचित किया गया था और 2014 नियमों के नियम 26 (4) के अनुसार, ऐसे सभी अधिकारी, जिनकी भर्ती और चयन किया गया था और जो उक्त नियमों के लागू होने से पहले काम कर रहे थे, उन्हें उक्त नियमों द्वारा शासित सेवाओं के उप-संवर्ग में शामिल माना जाना था।

5.2. विद्वान वकील यह प्रस्तुत करते हैं कि वास्तव में जिस तारीख को संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमों को अधिसूचित किया गया था, अपीलकर्ता पहले से ही राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के शिक्षा सेवा, अनुसंधान और प्रशिक्षण/शिक्षण के संवर्ग में विभिन्न पदों के पर काम कर रहे थे और इसलिए, वे उक्त सेवाओं के उप-संवर्ग में शामिल किए जाने के हकदार हैं।

5.3. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ताओं ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश पर यह तर्क देते हुए कहा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने 2014 के नियमों के नियम 26 (4) के साथ-साथ नियम 27 पर भी उचित रूप से विचार नहीं किया। यह तर्क दिया जाता है कि विभिन्न संस्थानों में याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति देते समय, प्रत्यर्थियों ने गलत तरीके से 'प्रतिनियुक्ति' शब्द का उपयोग किया है और वास्तव में, याचिकाकर्ताओं को प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं दिया गया था। इसके अलावा उन्हें राज्य के अन्य जिलों में स्थानांतरित कर दिया गया है और इसलिए, व्यावहारिक रूप से यह कहा

जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं को संबंधित प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा विभिन्न संस्थानों में पद पर नियुक्त किया गया था और इसलिए, 2014 के नियमों का नियम 26 (4) लागू होता है। हालांकि, विद्वान एकल न्यायाधीश ने नियम 27 पर भरोसा करने के बाद कहा कि याचिकाकर्ताओं को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया है, उन्हें वापस किया जाना है।

5.4. इसके बाद विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि 2014 के नियमों के नियम 27 में कुछ स्थितियों की परिकल्पना की गई है जहां संवर्ग में काम करने वाले व्यक्ति को शामिल किया जाएगा यदि उसके पास आवश्यक योग्यता है, लेकिन केवल तभी जब वह उप-संवर्ग में शामिल करने का विकल्प देता है। उन्हें अपने मूल संवर्ग में तभी वापस भेजा जा सकता है जब उनके पास आवश्यक योग्यता न हो या वे समावेशन या प्रतिनियुक्ति के आधार पर काम करने के अपने विकल्प का उपयोग न करें। इसके अलावा, जहां तक 2014 के नियमों के नियम 27 में उल्लिखित श्रेणियों में से अंतिम का संबंध है, यह ऐसे व्यक्तियों का है जिन्हें उन पदों पर नियुक्त किया गया है, जिन्हें वापस नहीं किया जाएगा, लेकिन वे पदोन्नति के किसी भी अवसर के बिना अपने पद पर बने रहेंगे।

5.5. इसलिए अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने आग्रह किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाए और इस प्रकार प्रतिवादी अधिकारियों को राज्य सरकार के शिक्षा विभाग की शिक्षा सेवा, अनुसंधान और प्रशिक्षण/शिक्षण के उप-संवर्गों में अपीलार्थियों को शामिल करने का निर्देश जारी किया जाए।

6. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान अपीलों का विरोध किया है। वह मुख्य रूप से तर्क देते हैं कि अपेक्षित परिस्थितियों में, बिहार सरकार के शैक्षिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थानों को चलाने की दृष्टि से चलाने के लिए, बिहार शिक्षा सेवा (प्रशासनिक संवर्ग), अधीनस्थ शिक्षा सेवा के अधिकारियों और योग्यता रखने वाले प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों से दिनांक 17.05.2012 को आवेदन आमंत्रित किए गए थे। हालाँकि, उपरोक्त सेवाओं के लिए उम्मीदवारों की क्षमता का परीक्षण करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी। कार्यक्रम, अर्थात् डी. एन. ए., आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति से पहले आयोजित किया गया था। विद्वान वकील आगे ज्ञापांक 20 दिनांक 14.01.2013 के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं कि, याचिकाकर्ताओं को विशेष स्थानों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर रखा गया था। यह तर्क दिया जाता है कि प्रासंगिक समय पर, नियमों को तैयार और अधिसूचित नहीं किया गया था। वास्तव में, याचिकाकर्ताओं ने संबंधित स्थानों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर अपनी नियुक्ति स्वीकार की और उनकी प्रतिनियुक्ति समय-समय पर बढ़ाई गई।

6.1. इसके बाद प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि 2014 के नियमों का नियम 26 (4) याचिकाकर्ताओं के मामले में लागू नहीं होगा और 2014 के नियमों के नियम 27 के अनुसार, क्योंकि याचिकाकर्ताओं को प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात किया गया था, उन्हें मूल पद पर वापस भेजा जाना आवश्यक है।

6.2. उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने अपील के दौरान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए तर्क पर भरोसा किया है और इसके बाद उत्तरदाताओं द्वारा रिट याचिकाओं में साथ ही साथ वर्तमान अपीलों में दायर काठंटर हलफनामे का भी उल्लेख किया है और इसके बाद यह तर्क दिया है कि संबंधित उत्तरदाता और एकल न्यायाधीश ने वर्तमान अपीलकर्ताओं/मूल याचिकाकर्ताओं के दावे को खारिज करते समय कोई त्रुटि नहीं की है। इसलिए, विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि इन सभी अपीलों को खारिज किया जाए।

7. हमने विद्वान वकीलों द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों पर विचार किया है और हमने अभिलेख पर रखी गई दलीलों का भी अध्ययन किया है और 2014 के नियमों पर भी विचार किया है। रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि यह मूल याचिकाकर्ताओं का मामला है कि उन्हें अलग-अलग तिथियों पर और अलग-अलग वर्षों में अलग-अलग प्राथमिक और माध्यमिक सरकारी स्कूलों में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। यह आगे स्पष्ट करता है कि मूल याचिकाकर्ताओं के पास शिक्षा में एम. एड. और एम. ए. की स्नातकोत्तर योग्यता है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अनुसंधान और प्रशिक्षण निदेशालय ने विभिन्न डी. आई. ई. टी., शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों और प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में और प्राचार्यों और व्याख्याताओं के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए ऐसे शिक्षकों का एक पैनल तैयार करने के लिए न केवल शिक्षकों से बल्कि बिहार शिक्षा सेवा, अधीनस्थ शिक्षा सेवा के प्रशासनिक संवर्ग के व्यक्तियों और सरकार के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में काम करने वाले अन्य अधिकारियों से भी आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस तरह के आमंत्रण में यह स्पष्ट किया गया था कि

आवेदन केवल एक पैनल तैयार करने के उद्देश्य से लिया जा रहा था जो ऐसे सूचीबद्ध व्यक्तियों को डी. आई. ई. टी. या किसी अन्य प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्राचार्य या व्याख्याता के रूप में तैनात किए जाने का कोई अधिकार नहीं देगा।

8. रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपरोक्त निमंत्रण के अनुसार, अपीलकर्ताओं/याचिकाकर्ताओं सहित 295 व्यक्तियों को चुना गया और उसके बाद, उनके संबंधित संगठन में उनकी सेवाओं को अनुसंधान और प्रशिक्षण निदेशालय को सौंप दिया गया और उन पैनल में शामिल व्यक्तियों को शिक्षक शिक्षा, डी. आई. ई. टी. आदि के कॉलेजों में चयन और प्रतिनियुक्ति के लिए डी. एन. ए. के नाम से एक कार्यशाला से गुजरना पड़ा। इसके अलावा, उन 224 सूचीबद्ध व्यक्तियों में से, अपीलार्थियों सहित 170 योग्य उम्मीदवारों को अंततः सफल घोषित किया गया, जिन्हें शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालयों में उनकी प्रतिनियुक्ति के आधार पर अपनी पोस्टिंग चुनने का विकल्प दिया गया था। यह भी पता चलता है कि अपीलार्थियों और इसी तरह के अन्य सूचीबद्ध और चयनित उम्मीदवारों ने खाली पदों के लिए अपनी नियुक्ति के लिए तीन विकल्पों का उपयोग किया और उनमें से 150 को एक वर्ष के लिए विभिन्न जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों और शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों में व्याख्याता के रूप में तैनात किया गया था।

9. इस स्तर पर, यह ध्यान रखना उचित है कि उपरोक्त नियुक्ति दिनांक 23.07.2015 के आदेश के माध्यम से की गई थी जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उन्हें प्रतिनियुक्ति पर कॉलेजों में व्याख्याताओं के रूप

में तैनात किया जा रहा था और इस तरह की प्रतिनियुक्ति का उनका विस्तार उनकी संतोषजनक सेवा पर निर्भर करेगा।

10. अभिलेख से आगे पता चलता है कि नियम, 2014 के अस्तित्व में आने के तहत बिहार शिक्षा सेवाओं में चार उप-संवर्ग बनाए गए, जिनमें से एक अनुसंधान और प्रशिक्षण उप-संवर्ग था। यह ध्यान देने योग्य है कि बिहार राज्य ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त नियम बनाए हैं। इस स्तर पर, हम 2014 के नियमों के नियम 26 (4), 27 और 28 का उल्लेख करना चाहेंगे, जो निम्नानुसार हैं :-

“ 26. 1. XX XX XX

2. XX XX XX

3. XX XX XX

4. उपरोक्त पदों पर पूर्व से काम करने वाले अधिकारियों को उप संवर्ग में भर्ती/पदोन्नत माना जाएगा।

27. इस उप संवर्ग के उपरोक्त पदों पर नियुक्त/पदोन्नत और काम करने वाले और इन पदों की निर्धारित योग्यता रखने वाले अधिकारी इस उप संवर्ग में शामिल करने का विकल्प देंगे। इस उप संवर्ग में शामिल करने के लिए कोई योग्यता नहीं होने या विकल्प नहीं देने के मामले में या प्रतिनियुक्ति के आधार पर काम करने के मामले में, उन्हें अपने स्वयं के संवर्ग में वापस भेज दिया जाएगा, यदि उन्हें इन पदों पर नियुक्त किया जाता है,

तो वे अपने पदों पर बने रहेंगे लेकिन उन्हें इस उप संवर्ग में नियमित पदोन्नति का लाभ नहीं मिलेगा।

28. नियुक्ति की प्रक्रिया।-(1) मूल संवर्ग में नियुक्ति निम्नानुसार की जाएगी:-

(i) बेसिक ग्रेड के 50 प्रतिशत पदों पर सीधी नियुक्ति होगी।

(ii) बाकी 50 प्रतिशत पदों को सरकारी स्कूलों में कम से कम तीन साल तक काम करने वाले और पदों के लिए आवश्यक योग्यता रखने वाले शिक्षकों से सीमित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भरा जाएगा। उनकी ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी।

(iii) नियुक्ति के लिए मूल श्रेणी के पद विषयवार रिक्तियों के आधार पर किए जाएंगे और नियुक्ति भी विषयवार की जाएगी।

(2) न्यूनतम शैक्षिक और प्रशिक्षण योग्यता।-किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर योग्यता और एम. ई. डी. में 55 प्रतिशत अंकों के साथ विशिष्ट विषय में अपेक्षित योग्यता।

लेकिन यह कि विभाग विभिन्न विषयों के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक और प्रशिक्षण योग्यता के अलावा विशिष्ट योग्यता निर्धारित करने में सक्षम होगा।

(3) योग्यता- (i) सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष होगी।

(4) विभाग प्रत्येक वर्ष, 1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर 30 अप्रैल तक आयोग को अनुरोध भेजेगा, जिसमें रोस्टर के अनुसार सीधी नियुक्ति के लिए 50 प्रतिशत रिक्तियों और पदोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत की गणना की जाएगी।

(5) आयोग प्राप्त मांग के आधार पर सीधी नियुक्ति के लिए 50 प्रतिशत रिक्तियों की संख्या का विज्ञापन करेगा। यह नियुक्ति संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग की सिफारिश के अनुसार की जाएगी।

लेकिन, यदि आयोग किसी विशेष वर्ष या कुछ वर्षों के लिए परीक्षा आयोजित करने की स्थिति में नहीं है, तो आयोग उस वर्ष या उन वर्षों के लिए संयुक्त रूप से परीक्षा आयोजित करने में सक्षम होगा जिनमें परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी थी।

लेकिन, यह भी कि यदि परीक्षा अनुरोध के अनुसार एक वर्ष से अधिक समय तक आयोजित की जाती है, तो आयोग वर्ष-विशिष्ट या वर्षों के लिए एक

परीक्षा आयोजित कर सकता है और वर्ष-विशिष्ट या उन वर्षों की रिक्तियों को उम्मीदवारों की योग्यता सूची तैयार करने के लिए एक साथ जोड़ा जा सकता है और ऐसे वर्षों की संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के मामले में, प्रत्येक वर्ष अलग-अलग योग्यता सूची तैयार करना आवश्यक नहीं होगा।

लेकिन इसके अलावा एक विशेष परिस्थिति के रूप में वर्ष-विशिष्ट या अन्य वर्षों के लिए संयुक्त परीक्षा आयोजित करने के मामले में, उम्मीदवार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे, क्योंकि उम्मीदवार उस वर्ष-विशिष्ट के लिए पात्र होगा जिसके लिए एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जा रही है।

(6) विभाग नियुक्ति के लिए विषयवार पदों की गणना करेगा।"

11. अब, यह अपीलार्थियों का मामला है कि 2014 के नियमों के नियम 26 (4) के अनुसार, ऐसे सभी अधिकारी, जिनकी भर्ती या पदोन्नति की गई थी और जो उक्त नियमों के लागू होने से पहले काम कर रहे थे, उन्हें उक्त नियमों द्वारा शासित सेवाओं के उप-संवर्गों में शामिल माना जाना था। यह तर्क दिया जाता है कि अपीलकर्ता पहले से ही उस तारीख को राज्य सरकार के शिक्षा सेवा, अनुसंधान और प्रशिक्षण/शिक्षण विभाग के कैडर में विभिन्न पदों पर काम कर रहे थे जब नियम अधिसूचित किए गए थे और इसलिए, वे उक्त सेवाओं के उप-कैडर में शामिल होने के लिए माने जाने के

हकदार हैं। अपीलार्थियों की यह शिकायत है कि जब उन्होंने 2014 के नियमों के नियम 27 के तहत विकल्प का प्रयोग करते हुए उप-संवर्ग में अपने समावेशन के लिए अभ्यावेदन किया, तो प्रत्यर्थी-प्राधिकरण द्वारा इसे केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलार्थी प्रतिनियुक्ति पर एक ही संवर्ग में काम कर रहे थे। अपीलार्थियों की शिकायत यह है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी 2014 के नियमों के नियम 27 की ठीक से व्याख्या नहीं की और इसलिए, वर्तमान अपील दायर की गई है।

12. इस स्तर पर, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि इस न्यायालय ने दिनांक 23.03.2023 के अंतरिम आदेश के माध्यम से मामले के तथ्यों के साथ-साथ विद्वान वकीलों द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों को दर्ज किया और उसके बाद बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को एक हलफनामा दायर करने और नियमों के भाग 6, विशेष रूप से 2014 के नियमों के नियम 51 को ध्यान में रखते हुए नियमों के प्रावधानों के संबंध में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। इसके बाद अतिरिक्त हलफनामा दायर किया गया है जिसमें संबंधित प्राधिकारी ने एक बार फिर अपीलार्थियों के दावे पर विचार नहीं किया है।

13. इस स्तर पर, हम 2014 के नियमों के नियम 26 (4) में निहित प्रावधान का उल्लेख करना चाहेंगे। उक्त प्रावधान के अनुसार, नियम लागू होने से पहले जिन अधिकारियों की भर्ती या पदोन्नति की जाती है और वे उक्त पदों पर काम कर रहे हैं या पदों पर काम कर रहे हैं, यदि सेवा उक्त नियमों द्वारा शासित है तो उन्हें उप संवर्ग में शामिल माना जाना था। हालाँकि, अभिलेख पर रखी गई दलील से यह पता चलता है कि अपीलार्थियों को पदों पर भर्ती या

पदोन्नत नहीं किया गया है और उन्हें प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया है और केवल इसलिए कि वे प्रतिनियुक्ति के आधार पर संबंधित पदों पर काम कर रहे हैं, उप संवर्ग में अवशोषण के लिए उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, 2014 के नियमों के नियम 26 (4) पर निर्भरता गलत धारणा है।

13.1. इस स्तर पर 2014 के नियमों के नियम 27 की व्याख्या करने की आवश्यकता है। नियम 27 में विशेष रूप से यह प्रदान किया गया है कि इस उप संवर्ग के उपरोक्त पदों पर नियुक्त/पदोन्नत और काम करने वाले और इन पदों की निर्धारित योग्यता रखने वाले अधिकारी इस उप संवर्ग में शामिल करने का विकल्प देंगे। वर्तमान मामले में, यह प्रत्यर्थी प्राधिकारी द्वारा लिया गया विशिष्ट रुख है कि अपीलार्थियों की नियुक्ति/पदोन्नति नहीं की गई थी और वे उप संवर्ग के पद पर काम नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्हें प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात किया गया था।

13.2. नियम 27 में आगे प्रावधान किया गया है कि कोई योग्यता नहीं होने या इस उप संवर्ग में शामिल करने का विकल्प नहीं देने या प्रतिनियुक्ति के आधार पर काम करने के मामले में, ऐसे व्यक्तियों को उनके अपने संवर्ग में वापस भेज दिया जाएगा। इस प्रकार, यहाँ अपीलार्थियों को पदों पर नियुक्त/पदोन्नत नहीं किया गया था, बल्कि प्रतिनियुक्ति के आधार पर काम कर रहे थे और इसलिए, नियम 27 के अनुसार, उन्हें अपने कैडर में वापस भेजा जाना आवश्यक है। यह वैधानिक नियम का अधिदेश है जिसमें प्रतिनियुक्ति के आधार पर काम करने वाले व्यक्तियों के प्रत्यावर्तन की आवश्यकता होती है। नियम 27 की भाषा से यह स्पष्ट है कि नियम बनाने

वाला प्राधिकरण इस तथ्यात्मक स्थिति से अवगत था कि नियमों के तहत अनुसंधान और प्रशिक्षण उप संवर्ग में आने वाले विभिन्न पदों के खिलाफ प्रतिनियुक्ति के आधार पर काम करने वाले व्यक्ति थे और जानबूझकर उन्हें उनके अपने संवर्ग में वापस भेजने का निर्णय लिया गया था। अब, यह अपीलार्थियों का मामला है कि कार्यालय के आदेश में लिखा गया है कि अपीलार्थियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया गया था, उन्हें प्रतिनियुक्ति भता नहीं दिया गया था और इसलिए, उन्हें नियमित रूप से विचाराधीन पदों पर तैनात किया जाता था। हालांकि, हमारा मानना है कि उक्त तर्क गलत है। सबसे पहले, अपीलकर्ताओं ने प्रत्यर्थी प्राधिकरण के समक्ष कभी आपति नहीं जताई जब उन्हें प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात किया गया था। उन्होंने संबंधित प्रत्यर्थी प्राधिकारी के समक्ष प्रतिनियुक्ति भता देने के लिए कभी अभ्यावेदन नहीं किया। दूसरा, यह भी विवाद में नहीं है कि प्रतियोगी परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी और इसलिए, केवल इसलिए कि अपीलार्थी आवश्यक योग्यता रखते थे और उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था, यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्हें नियमित आधार पर नियुक्त किया गया था। इस प्रकार, हमारा विचार है कि जब अपीलकर्ताओं को प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात किया गया है, तो नियम 27 लागू होगा और इसलिए, प्रतिवादी प्राधिकरण ने बिहार शिक्षा सेवा के अनुसंधान और प्रशिक्षण उप संवर्ग में उनके नियमितकरण/अवशोषण के लिए अपीलकर्ताओं के दावे को सही ढंग से खारिज कर दिया है।

13.3. हमारा यह भी विचार है कि नियम 27 का अंतिम भाग उन अपीलार्थियों के मामले में भी लागू नहीं होगा, जिन्हें प्रतिनियुक्ति के आधार पर

नियुक्त किया गया था, क्योंकि नियम में ही यह प्रावधान है कि जो अधिकारी प्रतिनियुक्ति के आधार पर काम कर रहा है, उसे अपने संवर्ग में वापस भेज दिया जाएगा। इसलिए अपीलार्थियों का यह तर्क देना सही नहीं है कि यद्यपि वे प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात हैं, वे अपने पदों पर बने रहेंगे लेकिन उन्हें इस उप संवर्ग में नियमित पदोन्नति का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा की गई व्याख्या भी गलत है।

14. हमने वर्तमान अपीलार्थियों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करते समय विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए तर्क को भी देखा है और हमारा विचार है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने याचिकाओं को खारिज करते समय कोई त्रुटि नहीं की है। अतः वर्तमान अपीलों में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

15. तदनुसार, ये सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(रमेश चंद मालवीय, न्यायमूर्ति)

पवन/संजय

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।